



भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

एक बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण



File No: NWDA/CE(N)LKO/T-16/KBLPA/ 3178-3200

दिनांक: 26.08.2022

आदेश

विषय: केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के लिए तकनीकी सलाहकार समूह का गठन।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ संयुक्त रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 11 फरवरी, 2022 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नामतः केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) की स्थापना की गई है। केबीएलपीए दौधन बांध, पावर हाउस, सुरंगों और केन-बेतवा लिंक जल वाहक के निष्पादन का कार्य करेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना के शेष घटकों का निष्पादन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। केबीएलपी के समग्र कार्यान्वयन के लिए केबीएलपीए जिम्मेदार होगा। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयनाधीन कार्यों के लिए, केबीएलपीए के सीईओ वित्तीय और कार्य नियोजन, निधि जारी करने और पर्यवेक्षण के लिए उनके साथ नियमित रूप से समन्वय करेंगे। केबीएलपीए का प्रधान कार्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित होगा और इसके कार्यालय दिल्ली एनसीआर, झांसी, उत्तर प्रदेश और छतरपुर, मध्य प्रदेश में होंगे।

केन बेतवा लिंक परियोजना (एससी-केबीएलपी) की संचालन समिति ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देने के लिए केबीएलपी (टीएजी-केबीएलपी) के लिए एक तकनीकी सलाहकार समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की। **टीएजी-केबीएलपी** की संरचना और संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

1. संरचना:

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	श्री डी पी भार्गव, पूर्व निदेशक, (तकनीकी), एनएचपीसी, फरीदाबाद	अध्यक्ष

2	श्री वाई के हांडा, पूर्व मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी	सदस्य
3	मुख्य अभियंता, डिजाइन (एनडब्ल्यू एंड एस), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
4	श्री वी के निरंजन, पूर्व एचओडी और ई-इन-सी, एल एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5	श्री जी पी सोनी, पूर्व मुख्य अभियंता, जल संसाधन विकास, मध्य प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक (सीएसएमआरएस) या नामिती	सदस्य

7.	निदेशक (जल विज्ञान), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
8.	अपर सीईओ (हेड वर्क्स), केबीएलपीए	सदस्य
9.	मुख्य अभियंता (डिजाइन), डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश	सदस्य
10.	मुख्य अभियंता (डिजाइन), आई एंड डब्ल्यूआरडी, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11.	अपर सीईओ (नहरें), केबीएलपीए	सदस्य -सचिव

समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

2. विचारार्थ विषय:

- टीएजी केबीएलपीए को केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन में प्राधिकरण द्वारा लाए गए विभिन्न नियोजन/डिजाइनिंग और तकनीकी मामलों पर सलाह देगा, जिसमें संबंधित राज्यों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले घटक भी शामिल हैं।
- टीएजी राज्यों/केबीएलपीए द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव/डीपीआर/अनुमानों, निविदा दस्तावेज आदि के मूल्यांकन से संबंधित मामलों पर भी सलाह दे सकता है।
- टीएजी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्णय और सलाह ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परियोजना के हित में प्रदान किए जाते हैं।
- केबीएलपीए द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला।

3. समय सीमा:

केबीएलपीए के टीएजी का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष के लिए होगा और इसे केन-बेतवा परियोजना की संचालन समिति के अनुमोदन और निदेश के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। केन-बेतवा लिंक लिंक की संचालन समिति किसी भी समय टीएजी के गठन में किसी भी संशोधन को प्रभावित कर सकती है।

4. व्यय:

टीएजी के आधिकारिक सदस्यों को टीए/डीए के खाते पर व्यय उस स्रोत से पूरा किया जाएगा जहां से वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों की, टीए/डीए पात्रताएं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन फ़ाइल नंबर 19047/1/2016-ई IV दिनांक 14.09.2017 के अनुसार हैं। समूह के गैर-अधिकारियों के संबंध में बैठने का शुल्क वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन फ़ाइल संख्या 19047/1/2016-ई.IV दिनांक 12.04.2017 के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(शिव प्रकाश)

एसीईओ (मुख्यालय/पी), केबीएलपीए

प्रति: केबीएलपीए के टीएजी के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
4. सदस्य, डी एंड आर, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केबीएलपीए, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
7. प्रमुख अभियंता, डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल
8. प्रमुख अभियंता, एचओडी, एल एंड डब्ल्यूआरडी, यूपी सरकार, लखनऊ
9. निदेशक, सीएसएमआरएस, नई दिल्ली
10. निदेशक, वित्त, केबीएलपीए, नई दिल्ली
11. अधीक्षण अभियंता, केबीएलपीए, ग्वालियर
12. अधिशासी अभियंता, केबीएलपीए संभाग, भोपाल